भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **466,** जिसका उत्तर

मंगलवार**, 6 फरवरी,** 2024 (**17 माघ**, 1945 (शक)) को दिया जाना है

नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

466 श्री सतीश चंद्र दूबे :

क्या **पत्तन**, **पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस जलमार्ग पर कब तक पोतों का प्रचालन आरंभ होने की संभावना है, और उक्त राष्ट्रीय जलमार्ग को आरंभ करने की क्या स्थिति है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी**,** हां। पांच (5) राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) (रा.ज.-1 से रा.ज.-5) के विकास के अतिरिक्त, 14 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास केरल**,** आंध्र प्रदेश**,** ओडिशा**,** गोवा**,** पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम राज्यों की सरकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसका ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ग): राष्ट्रीय जलमार्ग-37 (गंडक नदी) के विकास के लिए उठाए गए कदम तथा उसकी स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

अनुबंध-1

चरण-I विकास के तहत स्वीकृत नए रा.ज. की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)
1.	रा.ज.-8- केरल में अलाप्पुझा-चंगनास्सेरी नहर
2.	रा.ज.-9- केरल में अलाप्पुझा-अथिरामपुझा नहर
3.	रा.ज.-27- गोवा में कंबरजुआ नदी
4.	रा.ज.-68- गोवा में मांडोवी नदी
5.	रा.ज.-111- गोवा में ज़ुआरी नदी
6.	रा.ज.-86- पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी
7.	रा.ज.-97- पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जलमार्ग
8.	रा.ज.-40- यूपी और बिहार में घाघरा नदी
9.	रा.ज.-44- पश्चिम बंगाल में इचामती नदी
10.	रा.ज.-10- महाराष्ट्र में अम्बा नदी
11.	रा.ज.-28- महाराष्ट्र में दाभोल क्रीक वशिष्ठी नदी
12.	रा.ज.-57- असम में कोपिली नदी
13.	रा.ज.-31- असम में धनसिरी नदी
14.	रा.ज.-16-असम में बराक नदी

अनुबंध-2

रा.ज.-37 (गंडक नदी) के विकास के लिए उठाए गए कदम और वर्तमान स्थिति

आईडब्ल्यूएआई ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 12.91 करोड़ रु. की स्वीकृत लागत पर चरण-I विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान बंडालिग और चैनल मर्किंग का उपयोग करते हुए फेयरवे चैनल के स्थिरीकरण के लिए नदी संरक्षण सहित लांगिट्यूडनल सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया।

तथापि, रा.ज.-37 की विकासात्मक गतिविधियां, संभावित कार्गो की गैर-उपलब्धता और रा.ज.-37 अर्थात् रेवाघाट पुल के आर-पार स्थित अत्यंत कम सुगम संरचना के कारण स्थगित की गई है। आईडब्ल्यूएआई ने इस मामलें को प्रभारी अभियंता, सड़क विकास विभाग, पटना, बिहार सरकार के साथ उठाते हुए गंडक नदी पर रेवाघाट सड़क पुल का पुनर्निर्माण करने का अनुरोध किया है और इस विषय पर दिनांक 30.05.2019 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा ली गई बैठक के दौरान बिहार सरकार के प्राधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई थी और निर्णय लिया गया था कि रेवाघाट सड़क पुल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का है और एनएचएआई द्वारा इसे ठीक किया जाना चाहिए। तदनंतर, मामले को परियोजना निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक, एनएचएआई, पटना के साथ भी क्रमश: उपर्युक्त पुल को ठीक करने/पुनर्निर्माण (नौचालन उच्च बाढ़ स्तर के लिए पोत घाटों के बीच 50 मीटर होरिजेन्टल क्लियरेंस और 06 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस) के लिए उठाया गया था।

*****